प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के रेल मंत्रालय के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2020-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खंड II) में तीन अखिल भारतीय पैराग्राफ सहित नौ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल है।